

**कार्यालय प्रमुख अभियंता**  
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**  
तृतीय तल, ब्लॉक-बी-4 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक 8057 / त.शा./ एफ-सरकुलर-3 / प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./ 2014 रायपुर,  
प्रति,

दिनांक 16.12.14

मुख्य अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
परिक्षेत्र रायपुर/ बिलासपुर/ जगदलपुर

**विषय :- छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 16 के अंतर्गत सुझाव।**

**संदर्भ :-** विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ0ग0 शासन, लो.स्वा.यां.वि., मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र  
क्रमांक- एफ10-1/2013/34-2/2281 रायपुर दिनांक 7.9.2013

-----00-----

विषयांतर्गत शासन से प्राप्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा दिनांक 27.11.2014 को समक्ष में अधोहस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक-1380/1223/2012/1-7 दिनांक 02.09.2013 में उल्लेखानुसार लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-21-5/12/टी/19/निविदा दिनांक 03.09.2012 एवं क्रमांक-एफ- 21-6/12/टी/19/निविदा दिनांक 03.09.2012 द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यों हेतु कार्यविभाग नियमावली Volume-I के कंडिका 2.086 (4) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपने परिपत्र में निविदाओं के संबंध में जारी मुख्यतः निर्देश प्रतिस्थापित किये गये हैं, जो निम्नानुसार है:-

“There should normally be no post tender negotiations. If at all negotiations are warranted under exceptional circumstances, then it can be with L-1 (Lowest tenderer) only if the tender pertains to the award of work/supply orders etc.”

अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थों को भी आवश्यक निर्देश जारी करें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

9

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
रायपुर छत्तीसगढ़

पू0 क्रमांक 8058 / त.शा./ एफ-सरकुलर-3 / प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./ 2014 रायपुर, दिनांक 16/12/2014  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की शासन के संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, (वि/यां0), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर,
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडल रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/ अंबिकापुर/ जगदलपुर एवं (वि0/यां0) मंडल रायपुर,
4. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड/परियोजना खंड/मेकेनिकल खंड.....
5. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार  
(क. 2 के 5 व 6 के लिए)

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर

9

(45)

छत्तीसगढ़ शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 10-1/2013/34-2/22-8।  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 7 /9/2013

प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
तृतीय तल, इन्द्रावती भवन  
नया रायपुर छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 16 के अन्तर्गत सुझाव।

-00-

विषयान्तर्गत अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन के उनके पत्र क्रमांक 1380/1223/2012/1-7 दिनांक 02.09.2013 की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 16 के अन्तर्गत सुझाव के संबंध में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्र:-उपरोक्तानुसार।

9/10  
(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
छत्तीसगढ़ शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

